कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा जनगणना एवं रा.रा.क्षे.दि.स. जैसे विभिन्न माध्यमों से संग्रहित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियां 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.50 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। यह विशेष रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन राजस्व की कमी के बदले में ₹4,182 करोड़ के मुआवजे की प्राप्ति के कारण कर राजस्व तथा ₹3,660 करोड़ (167.58 *प्रतिशत*) तक के सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण हुई थी। भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,184 करोड़ (2017-18) से ₹5,844 करोड़ (2018-19) तक बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.54 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 15.93 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई थी।

(पैरा 1.3, 1.3.1.1 व 1.3.1.2)

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में कुल व्यय 8.35 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 86.67 *प्रतिशत* था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 *प्रतिशत* तथा 5.65 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.5.1)

31 मार्च 2019 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ का निवेश किया था। निवेश पर प्रतिफल नगण्य एवं 0.06 तथा 0.08 *प्रतिशत* (ऐतिहासिक

लागत पर) के बीच की श्रेणी का था जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 *प्रतिशत* तथा 8.64 *प्रतिशत* के बीच की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था।

(पैरा 1.7.1)

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पिछले वर्ष से अधिक थी तथापि यह बकाए ऋणों का केवल एक अंश (2.55 *प्रतिशत*) था। 1998-2019 की अवधि के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹28,011 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2019 तक केवल ₹351 करोड़ वापस किये गये थे और ₹27,660 करोड़ बकाया था। बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेंसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

1996-2011 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को ₹11,838 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था जबकि 31 मार्च 2019 तक ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹162 करोड़ वापस किया जा चुका है। 31 मार्च 2019 तक इन ऋणों पर ₹26,070 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास क्रमश: ₹2,038 करोड़, ₹1,396 करोड़ तथा ₹319 करोड़ बकाया थे। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु ऋणों की वसूली टाल दी गई। बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित ऐंजसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है। चूंकि ऋणों की वसूली कम रही है, इसलिए राज्य सरकार इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने का विचार कर सकती है तथा लेखे सटीक स्थिति दर्शाये यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हे राजस्व व्यय के रूप में बुक कर रही है।

(पैरा 1.7.2)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल राजकोषीय देयताएँ 2018-19 में ₹32,812 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएँ स.रा.घ.उ. का 4.21 *प्रतिशत*, राजस्व प्राप्तियों के 76.11 *प्रतिशत* तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के 88.04 *प्रतिशत* थीं।

(पैरा 1.8.2)

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षो के दौरान राजस्व अधिशेष बनाये रखने में सक्षम रहा। राजस्व अधिशेष 2018-19 में ₹6,261

करोड़ तथा स.रा.घ.उ. का 0.80 *प्रतिशत* था। राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹2,237 करोड़ हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है। 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दि.स. के कर्मचारियों की ₹1,137.21 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹7,136.48 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किए गए थे।

(पैरा 1.10.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

₹58,177.14 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति, ₹46,344.56 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹11,832.58 करोड़ (20.34 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

(पैरा 2.2.1)

आठ उप-शीर्षों में ₹160.87 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि पांच मामलों में अंतिम व्यय मूल अनुदान से कम था जबकि सभी आठ मामलों में पूरक प्रावधान से कुछ भी व्यय नहीं हुआ था।

(पैरा 2.3.4)

41 उप-शीर्षों में जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी, पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किए गए क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹315.91 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित रही।

(पैरा 2.3.5)

14 उप-शीर्षों में ₹2,112.83 करोड़ का पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए जिनमें से छः उप-शीर्षों में ₹1,297 करोड़ की अनुदान राशि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ।

(पैरा 2.3.6)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न गारंटी संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में पर्याप्त विलम्ब हुये थे जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹5,089.55 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10 वर्षों से

बकाया थे, जबकि ₹79.45 करोड़ के 1,062 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(पैरा 3.2)

वर्ष 2017-18 तक देय छः निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैरा 3.3)

31 मार्च 2019 तक ₹682.98 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति ₹564.44 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के बकाया को छोड़कर ₹118.54 करोड़ (17.36 *प्रतिशत*) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त हुए थे। 2018-19 के दौरान बकाये सार आकस्मिक बिलों का 41 *प्रतिशत* केवल मार्च 2019 के थे।

(पैरा 3.5)